इन्दौर के मजदूर आंदोलन

का

संक्षिप्त इतिहास

(१९२६ से १९५६)

इन्दौर मिल मजदूर संघ प्रकाशन

प्रकाशक,
गंगाराम तिवारी
प्रधान मन्त्री
इन्दौर मिल मजदूर संघ, इन्दौर

पहली आवृत्ति, जून, १९५७

[मूल्य चार आने]

मुद्रक
मजदूर प्रिंटिंग प्रेस,
इन्दौर (म. प्र.)

इन्दौर का मजदूर आंदोलन

औद्योगिक दृष्टि से इन्दौर का काफी महत्व है। यहां पर ६ कपड़ा मिलें, तैल मिल, इंजिनियरिंग कारखाने, वनस्पति का कारखाना और इसके अलावा दैनिक उपयोग की वस्तुओं के भी कई छोटे बड़े कारखाने हैं जिनमें दाल मिल, चावल मिल, बिस्कुट फेक्ट्री, साबुन के कारखाने, सायकल का सामान बनाने के कारखाने, मोटर वर्कशाप आदि प्रमुख हैं। इन कारखानों में प्रतिदिन लगभग तीस हजार श्रमिक काम करते हैं।

इन्दौर के कारखानों में लगने वाला कच्चा माल, केवल लोहे और कोयले को छोड़कर, इन्दौर के आस पास के क्षेत्र में ही पैदा होता है। रूई, तिलहन, मूंगफली गेहूं आदि मालवे तथा निमाड़ की उपजाऊ भूमि में बहुतायत से पैदा होते हैं जो केवल इस क्षेत्र की जनता की जरूरतों को ही पूरा नहीं करते बल्कि यहाँ से निर्यात भी किये जाते हैं। इन्दौर के कारखानों में बनाये जाने वाले सामान की खपत इन्दौर और राजस्थान तथा मध्यप्रदेश के क्षेत्रों में हो जाती है। कपड़ा तो यहां से विदेशों को भी भेजा जाता है। इंजीनियरिंग कारखानों का सामान भी सारे देश में जाता है।

मानव शक्ति के रूप में स्थानीय श्रमिकों के अलावा औद्योगिकरण के साथ ही राजस्थान, खानदेश, उत्तरप्रदेश आदि के बहुसंख्यक श्रमिक भी यहां काम करते हैं।

यहां की कपड़ा मिलों में कुल २,०८,८६२ स्पींडलस और ५७२६ लूम्स हैं जिनमें मोटा और मध्यम कपडा बनाया जाता है जिनका पिछले आठ वर्षों का सूत और कपड़े का उत्पादन इस प्रकार हैं :—

सन्	सूत पौण्ड में	कपड़ा गजों में
१९५०	४६१,६७,६१०	१३,८७,७२,३१८
१९५१	४६५,८७,०८०	१४,०४,३८,६२७
१९५२	४६४,६०,८७७	१४,८६,२१,५७३
१९५३	४८६,६१,१३५	१६,६६,३८,६५६
१९५४	४७५,८६,३३५	१६,७८,३६,१५१
१९५५	४८६,००,२७२	१८,२१,१६,४७३

इंजिनियरिंग कारखानों में सेनीटेशन पाईप, गन्ने की चरखी, चारा काटने की मशीन, यानमार के एंजिन, सड़क दाबने के एंजिन के पहिये, री रोल्ड सामान आदि विशेष प्रसिद्ध हैं।

उपरोक्त उद्योगों के अलावा इन्दौर में औद्योगिक विकास की बहुत संभावनाएं विद्यमान हैं क्योंकि यहां पर कच्चा माल, शक्ति, मानवबल, बाजार आदि सभी उपलब्ध हैं।

श्रम आंदोलन का श्रीगणेश

औद्योगीकरण के साथ ही मजदूर आन्दोलन का श्रीगणेश नहीं हो जाता। इन्दौर में पहिला व्यवस्थित बड़ा उद्योग स्टेट मिल के रूप में सन् १८६७ में आरम्भ हुआ लेकिन देश के अन्य भागों की तरह कई वर्षों तक इन्दौर में मजदूर आन्दोलन की सिहरन तक नहीं मालूम हुई। सारे देश की भांति इन्दौर के मजदूर भी मौन थे। उनसे मन चाहा काम लिया जाता। जो जी में आता वही पगार दिया जाता था। न तो मजदूरों का स्वयं कोई संगठन था और न शासन ही श्रमिकों की स्थिति के प्रति सचेत। उल्टे तत्कालीन शासन तो श्रमिकों को दबाने में सदा शोषकों के साथ रहा।

पहली सफल हड़ताल

प्रथम महायुद्ध के पश्चात् स्थिति में परिवर्तन हुआ। देश के औद्योगिक दृष्टि से उन्नत अन्य केन्द्रों में मजदूर आन्दोलन आरम्भ हुआ। १६१८ में तो गांधीजी ने अहमदाबाद के मजदूरों का नेतृत्व कर एक सफल लड़ाई लड़ी जिससे भारत में राष्ट्रीय मजदूर आन्दोलन का श्रीगणेश हुआ। इसके पश्चात देश में असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आन्दोलन, खादी, खिलाफत, हरिजन आदि आन्दोलन चले जिनका सारे देश के मजदूरों पर भी असर हुआ। चेतना फैली। इन्दौर के श्रमिक इस चेतना से अछूते रहे, ऐसा नहीं कहा जा सकता। एक ओर तो यह चेतना फैल रही थी दूसरी ओर मजदूरों पर काम का असह्य बोझ और पगारों का स्तर अत्यन्त नीचा होने से उनमें स्वाभाविक रूप में असंतोष की आग बढ़ रही थी। अन्त में, इन्दौर में १६२६ में मालवा मिल के श्रमिकों ने बोनस के प्रश्न पर हड़ताल आरम्भ की जो सभी कपड़ा मिलों में फैल गई। इस हड़ताल का नेतृत्व करने के लिये इन्दौर के मजदूरों ने गांधीजी से प्रार्थना की। इस पर गांधीजी ने अहमदाबाद मजदूर संघ के मंत्री एवं अपने अनुयाई श्री गुलजारीलालजी नन्दा को इन्दौर भेजा। श्री नन्दाजी ने इन्दौर आकर सारी स्थिति का अध्ययन किया और मजदूरों की बोनस की मांग के लिये की गई हड़ताल को तो उन्होंने वाजिब माना ही साथ ही मजदूरों से मिलों में १२, १२ और १४, १४ घंटे लिये जाने वाले काम को बन्द करा तत्कालीन ब्रिटिश भारत के समान काम के घंटे १० करने की मांग भी रखी। सभाबंदी, शासकीय दमन, और अन्य अनेक कठिनाईयों के बीच श्री नन्दाजी ने हड़ताल का सफलता पूर्वक नेतृत्व किया।

काम के घंटे दस हुए

इस हड़ताल का एक शुभ परिणाम यह आया कि आम जनता को मजदूरों के सवालों की जानकारी मिली और मजदूरों की मांगों के औचित्य के कारण मजदूरों का पक्ष मजबूत बना, जनता ने उनका समर्थन किया। इसका तत्कालीन शासन पर भी जबरदस्त असर हुआ। लगभग दो माह की हड़ताल के पश्चात् मामला न्यायमूर्ति श्री श्रीनिवास त्र्यम्बक द्रविड़ को पंच के रूप में सौंप दिया गया। श्री नंदाजी ने मजदूरों का पक्ष न्याय के आधार पर अत्यन्त सुन्दर ढंग से रखा और पंच महोदय ने, श्री नन्दाजी की बात को वाजिब मान मजदूरों को बोनस देने और काम के घन्टे घटाकर दस करने का निर्णय दिया।

इंदौर मिल मजदूर संघ की स्थापना

हड़ताल की सफलता से प्रेरित होकर इन्दौर के मजदूरों ने अपना संगठन बनाने का निर्णय किया। रानीपुरा की कच्ची मस्जिद में श्रमिकों की आम सभा आयोजित की गई। श्री गुलजारीलालजी नन्दा ने सभा को सम्बोधित किया और वहाँ अगस्त १९२६ में इन्दौर मिल मजदूर संघ की नींव पडी जो तत्कालीन देशी राज्यों में सबसे पहला श्रम संगठन है।

आरम्भ में ही लगभग सात-आठ हजार श्रमिक सङ्घ के सदस्य हो गये जो उन दिनों की श्रमिक संख्या का एक तिहाई थे। संघ में प्रथम वर्ष में २५० शिकायतें दर्ज कराई गईं। संघ ने कारखाने के अन्दर खड़ी होने वाली इन शिकायतों में से १२ में सफलता पाई जो उन दिनों की स्थिति में एक बड़ी बात मानी जाना चाहिये। लगभग चार वर्ष तक संघ का कार्य सामान्य रूप से चलता रहा। उन दिनों जो शिकायतें आती वे प्रमुख रूप से पगारों की होती थीं।

इधर इन्दौर के मजदूर अपना संगठन बनाते रहे उधर संचालकों को मजदूरों का संगठित होना खल रहा था। वे मजदूरों पर वार करने का मौका ताकने लगे।

मजदूर संघ को मान्यता

सन १९३०-३१ में विश्वव्यापी मंदी का बहाना लेकर स्वदेशी मिल ने साल खाते के श्रमिकों के पगारों में चुपके से कटोत्रा किया। श्रमिकों ने इस पर हड़ताल की। जब संघ द्वारा इस सम्बन्ध में चर्चा का प्रस्ताव किया गया तो स्वदेशी मिल मेनेजमेंट ने यह कह कर कि "हमने मिल चलाने की व्यवस्था कर ली है, हम चर्चा की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करते" चर्चा करने से इन्कार कर दिया। इस पर मजदूरों द्वारा श्री नन्दाजी फिर आमंत्रित किये गये। चर्चा करने के प्रयत्न असफल होने पर उन्होंने हड़ताल का नेतृत्व किया। हड़ताल तोड़ने में संचालकों ने सभी प्रकार के प्रयत्न कर देखे। अन्त में मजदूरों की संगठित ताकत के सामने मेने-

जमेंट ने हार मानी और इन्दौर के मजदूर सफलता की दूसरी सीढी चढ गये। इस हड़ताल के फलस्वरूप मजदूर संघ को मान्यता मिली।

कांग्रेस द्वारा समर्थन

स्वदेशी मिल की हड़ताल समाप्ति के पश्चात् भण्डारी मिल में भी माल खाते के भावों में कमी करने के प्रश्न पर हड़ताल हुई। पहली हड़ताल भण्डारी मिल के श्रमिकों द्वारा अन्य मिलों से अलग रहने के कारण असफल समाप्त होगई। दूसरी हड़ताल में संघ ने नेतृत्व किया। अन्त में सरकार ने संघ के प्रयत्नों पर समझौता अधिकारी नियुक्त किया। उसने मजदूरों को वापस काम पर जाने और मेनेजमेंट को यथावत स्थिति बनाये रखने का आदेश दिया। लेकिन मिल कम्पनी ने हड़ताल की अगवानी करने वाले ११० श्रमिकों को काम पर लेने से इन्कार कर दिया। संघ ने इन श्रमिकों को काम पर रखाने का हर सम्भव प्रयत्न किया लेकिन सफलता न मिली। इस पर फिर हड़ताल आरम्भ होगई। इस हड़ताल का प्रभाव स्टेट मिल पर भी पड़ा। वहां के श्रमिकों ने भण्डारी मिल के श्रमिकों की सहानुभूति में हड़ताल की। अनेकानेक कठिनाईयाँ और कष्ट सहकर भी मजदूरों ने अपनी हड़ताल चलाई। इस हड़ताल में संघ ने श्रमिकों की आर्थिक सहायता की। अखिल भारतीय राष्ट्रीय महासभा अर्थात् कांग्रेस ने भी इस बार श्रमिकों का पक्ष समर्थन किया। अन्त में हड़ताल सफलता पूर्वक समाप्त होगई।

संघ के आगेवानों पर प्रहार

हड़ताल तो समाप्त हो गई; लेकिन मिल संचालकों ने संघ विरोधी रवैया नहीं छोड़ा। इन दिनों अहदाबाद मजदूर संघके वर्तमान प्रधान मंत्री एवं राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के अध्यक्ष श्री श्यामाप्रसाद वसावड़ा यहां काम करते थे। उन्हें श्री नन्दाजी और श्री खण्डूभाई देसाई की राष्ट्रीय आंदोलन में हुई गिरफ्तारी के कारण अहमदाबाद जाना पड़ा। इधर इन्दौर में राजकुमार मिल के रिंग खाते के श्रमिकों के पगारों में कटोतरा किया गया जिससे राजकुमार मिल के साथ हुकुमचंद मिल में भी हड़ताल होगई। इन दिनों संघ के आगेवानों को भी काम से बन्द कर दिया।

इतनी विषम परिस्थिति में भी इन्दौर मिल मजदूर संघ, एक ओर तो पगारों में कटोतरे की रोक, हड़तालों को चलाना-सुलझाना, आदि करता रहा, दूसरी ओर उसकी सांस्कृतिक तथा शैक्षणिक प्रवृतियों में पाठशाला, वाचनालय, आदि चलाये जाते रहे।

मिलें अनिश्चित काल के लिये बंद

सन् १६३३ के आरम्भ से ही, पगारों में महंगाई के नाम पर पिछले वर्षों से जो पैसा दिया जाता था उसमें कटोत्रा करने क सवाल उठ खड़ा हुआ। संघ के कारण

सीधा कटोतरा कर सकना सम्भव नहीं था, इसलिये मिलों में लगाये नोटिस संघ द्वारा विरोध किये जाने पर वापस ले लिये गये। लेकिन इसके बाद सभी मिलें १ अप्रेल १६३३ से अनिश्चित काल के लिये बन्द करदी गईं। श्रमिकों को इस मिल बन्दी के कारण कई कठिनाईयां उठाना पड़ीं। मजदूरों ने ढाई महिनों तक अपूर्व दृढ़ता दिखाई। मिल संचालकों के प्रतिदिन सीटी बजाकर मिल चलाने और इसी प्रकार के अन्य प्रलोभनों को ठुकरा दिया। अन्त में तत्कालीन होलकर राज्य के प्रधान मन्त्री श्री बापना पंच बनाये गये। १६ जून १६३३ को सभी मिलों में काम शुरू हुआ। इस आन्दोलन के बीच श्री नंदाजी के जेल से बाहर आ जाने के कारण इन्दौर के मजदूरों को श्री गुलजारीलाल नन्दा का मार्गदर्शन फिर प्राप्त हुआ। श्री नन्दाजी ने इस बात पर जोर दिया कि मजदूरों पर बाहर से कोई फैसला नहीं लादना चाहिये। मजदूर स्वेच्छा और स्वतन्त्रता से जो निर्णय करें वही अमल में लाया जाना चाहिये। पंच के समक्ष श्री नंदाजी ने मजदूरों का पक्ष रक्खा।

पंच द्वारा अन्याय

श्री बापना ने पंच फैसला देने में मजदूर पक्ष की दलीलों को ध्यान में नहीं रखा और मँहगाई में कटोत्रा करने का एक तरफी फैसला दे डाला। यह फैसला इतना अन्याय पूर्ण था कि इन्दौर के मजदूरों का पंच फैसले से विश्वास ही उठ गया, इससे इन्दौर के श्रम आन्दोलन को बहुत ठेस पहुंची और मजदूर लगभग तीन वर्ष तक ठंडे होगये।

और शासकीय दमन भी !!

इसके बाद १६३६ में इन्दौर की मिलों ने फिर कटोत्रा करने के नोटिस लगाये। इस बार कटोत्रा करने को अगवानी मालवा मिल ने की। संघ ने सदा ही कटोत्रे का विरोध किया है। संघ ने प्रयत्न किया कि कटोत्रे की बीमारी दूसरी मिलों में न फैले। इस उद्देश्य से उसने मालवा मिल के साथ चर्चा की। चर्चा असफल होने पर मालवा मिल के मजदूरों ने २६-११-३६ से हड़ताल आरम्भ की जो एक सप्ताह में ही इन्दौर की सभी मिलों में फैल गई। इस प्रकार लगभग १७ हजार श्रमिक हड़ताल पर चले गये। यह हड़ताल करीब १५ दिन चली। बाद में वही श्री बापना फिर पंच बन गये जिनके कटोत्रे के फैसले का घाव अभी तक भरा नहीं था। इस बार श्री नन्दाजी पर शासन द्वारा मजदूरों का पक्ष रखने और उनकी मदद करने पर बंदिश लगा दी गई। श्री बापना ने कटोत्रा करने का फैसला दिया पर फैसला देने के पहिले दोनों पक्षों को सुनने का पूरा नाटक किया गया। जब फैसला सामने आया तो मजदूरों में एकदम बैचेनी फैल गई। पर शासकीय दमन के डर से वे ऊफ तक न कर सके। जिसने कुछ कहा सुना उसे तीन वर्ष के लिये जेलों में ठूँस दिया गया। संघ के कई आगेवानों को इस प्रकरण में तीन तीन वर्ष की सजाएं हुई लेकिन वे संघ के प्रयत्न से जल्दी रिहा करा दिये गये। इस दमन के कारण मजदूर हताश हो गये।

उनका संगठन भी कमजोर होगया। इस अवसर का विरोधियों ने और विरोधियों की मदद से मिल संचालकों ने काफी लाभ उठाया। अन्य संगठन संघ विरोधी प्रचार में लगे रहे और मजदूरों को मनलुभावने नारों से मुगालता देते रहे। इस बीच इंदौर की मिलों में कई छोटी बडी हडतालें हुई लेकिन कामयाबी किसी में नहीं मिली।

इन्दौर के मजदूर पीछे रह गये

इन्दौर के मजदूर जब मौका परस्तों और सस्ते नारे देने वाले नेतृत्व के साथ थे, तब देश के अन्य भागों में कांग्रेसी मन्त्री मंडलों की स्थापना हुई। इन मंत्रीमंडलों ने श्रम कल्याण की विविध योजनाएं बनाकर कार्यान्वित की। श्रमिकों को राहत पहुँचाई। सारे ब्रिटिश भारत में काम के घंटे दस से घटाकर नौ कराये गये। देश के अन्य भागों से मिलने वाले समाचारों से इन्दौर के मजदूरों में जागृति की नई लहर आई। इस जागृति से श्रमिकों का संगठन कहीं दृढ़ न हो जाये इस दृष्टि से तत्कालीन होल्कर राज्य के प्रधान मन्त्री कर्नल दीनानाथ ने मिल संचालकों से चर्चा कर श्रमिकों के पगारों में एक रुपये पर एक आने की वृद्धि कराई।

इस समय कम्यूनिस्टों ने इन्दौर के मजदूर आन्दोलन में प्रवेश किया। इनका काम सदा की भांति केवल मिल संचालकों और सरकार के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करना ही रहा है। उनके अपशब्दों को सुनकर मजदूरों को लगा कि कम्यूनिस्ट मजदूरों के सच्चे रहबर हैं। मजदूर उनके साथ हो लिये। १ मई १९३९ को इन्दौर में मजदूर सभा की स्थापना हु ।

अब इन्दौर के मजदूरों में नामधारी नेताओं और कम्युनिस्टों में नेतृत्व के लिये तू-तू मैं-मैं होने लगी। इसका असर मजदूरों पर भी हुआ। वे अपनी साधारण सभ्यता भी छोड़ बैठे। इससे नागरिक जीवन में मजदूरों की प्रतिष्ठा समाप्त-सी हो गई।

महायुध्द, मँहगाई और गोली !

द्वितीय महायुद्ध के कारण दुनिया में मंहगाई का दौर आरंभ होगया था। इन्दौर के मजदूरों में भी इससे बैचेनी थी। आखिर १ नवम्बर १९३९ से मालवा मिल के श्रमिकों को रुपये पर ५ आना ६ पाई, हुकमचन्द व कल्याण में ३ आ. ० पाई, राजकुमार में १ आना ३ पाई और जहां कटोत्रे नहीं हुए थे वहां रुपये पर १ आना मंहगाई दी जाने लगी। इधर मंहगाई का दौर बढ़ता जा रहा था। अहमदाबाद के मजदूरों ने मजदूर संघ के नेतृत्व में बढ़े हुए बाजार भाव के आधार पर मंहगाई भत्ता लिया लेकिन इन्दौर के मजदूरों को कुछ नहीं मिला। इससे इन्दौर के मजदूरों में असंतोष उग्रतर होता गया। ऐसी स्थिति से लाभ उठाने के लिये कम्युनिस्ट प्रभावित मजदूर सभा ने ४० प्रतिशत वृद्धि की मांग की और ऐलान किया कि

अगर १७-४-१९४१ तक यह मांग पूरी नहीं की गई तो आम हड़ताल होगी। इस ऐलान पर शासकीय अधिकारियों ने कम्युनिस्टों को डाटा फटकारा तो उन्होंने आम हड़ताल का ऐलान वापस ले लिया। इससे कम्युनिस्टों की जो कुछ प्रतिष्ठा थी वह भी चली गई। लेकिन मजदूर शांत नहीं हुए। १७ अप्रेल का दिन आया। मजदूरों ने तमाम मिलों में पूरी हड़ताल कर दी। उनमें जोश था। ४० फी सदी मंहगाई लेने का संकल्प था। मजदूरों की आम सभायें होने लगी। उनमें शायरी और जोश भरे भाषण हुए। अन्त में शासन ने तात्कालीन म्युनिसिपल कमिश्नर श्री ढंढा को समझौता अधिकारी नियुक्त किया। श्री ढंढा ने मजदूर सभा (कम्यूनिस्ट) के प्रतिनिधि श्री मुख्तारएहमद और अन्य संगठन के प्रतिनिधि श्री कन्हैयालाल गुप्त के साथ २५ रु. से कम पगार पाने वाले श्रमिकों के वेतन में १ रु. ८ आना और २५ से अधिक पाने वालों को २ रु. बढ़ोत्रा देने का दिनांक २७-४-१९४१ को समझौता किया। जब इन नामधारी मजदूर प्रतिनिधियों ने श्रमिकों के सामने आकर समझौते की विगत सुनाई तो मजदूर बहुत बिगड़े। उन्होंने इनका नेतृत्व नामंजूर कर दिया। अब मजदूरों में जोश तो था लेकिन नेता नहीं। ऐसे अवसर पर सुश्री मौसीबाई नामक महिला ने मजदूरों में प्रवेश किया। ऐसे मनोवैज्ञानिक अवसर पर एक महिला का श्रमिकों के बीच आने का बड़ा असर हुआ। मजदूर अपनी मांग पर और दृढ़ होगये। इस पर सरकार ने २८ अप्रेल को ही मौसीबाई को गिरफ्तार कर लिया। सभा बन्दी की आज्ञा प्रसारित करदी गई। इससे मजदूरों में और अधिक जोश पैदा हुआ और वे बागी बन गये। मौसीबाई को छुड़ाने के लिये मजदूर पुलिस थाने पर गये और उन्हें मुक्त कर लिया। मजदूरों के जुलूस शहर के विभिन्न मार्गों में जाने लगे तब रानीपुरा पुलिस ने मजदूरों पर गोली चलाई जिसमें चार मजदूर मारे गये। इससे सारे शहर में सन्नाटा छा गया। लोग अपने घरों में बन्द होगये और मजदूरों में आतंक फैल गया। वे भी अपने में सिमट गये। यों, इन्दौर मजदूर आन्दोलन के एक अध्याय की परिसमाप्ति हुई।

नये आन्दोलन का बीजारोपण

१९४१ की हड़ताल और गोलीकांड के कारण सभी पक्षों के मन में यह प्रतीति हो गई थी कि इन्दौर के श्रमिकों की समस्या ऊपरी इलाज करने से हल नहीं होगी। इस पर शासन ने एक कमेटी स्थापित करने का निर्णय किया। इस कमेटी में प्रत्येक मिल के श्रमिकों ने तीन-तीन प्रतिनिधि निर्वाचित किये। सभी मिलों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की बैठक में किसी एक जानकार व्यक्ति को बाहर से बुलाने का प्रश्न आया। इस पर कम्युनिस्ट समर्थक प्रतिनिधियों ने श्री मिरजकर और श्री डांगे के नाम रखे। राष्ट्रीय विचारधारा के श्रमिक प्रतिनिधियों ने श्री गुलजारीलालजी नन्दा का नाम प्रस्तुत किया। बहुमत श्री नन्दाजी के पक्ष में आया अतएव तत्कालीन होलकर राज्य के गृहमन्त्री श्री रशीद ने श्री नन्दाजी से इन्दौर आकर स्थिति का

अध्ययन कर अपने सुझाव देने का आग्रह किया। श्री नन्दाजी आये, उन्होने स्थिति का अध्ययन किया और वापस अहमदाबाद चले गये। वहां से उन्होने श्री व्ही. व्ही द्रविड़ और श्री रामसिंह भाई को इन्दौर भेजा। यहीं से इन्दौर में नये राष्ट्रीय आन्दोलन का बीजारोपण होता है।

★

नये आन्दोलन का श्रीगणेश

श्री व्ही. व्ही. द्रविड़ और श्री रामसिंह भाई ने इन्दौर आकर मजदूरों की स्थिति, इन्दौर की राजनीति, सामाजिक जीवन आदि का गंभीरता पूर्वक अध्ययन किया। आपको आरम्भ में जिन कठिनाईयों का सामना करना पडा वे किसी भी व्यक्ति को निराश कर काम छोडने के लिये विवश कर सकती थीं। दोनों महानुभावों ने अथक परिश्रम, साहस और सूझबूझ से काम लेकर ८ दिसम्बर १९४१ को इन्दौर मिल मजदूर संघ की स्थापना की।

मजदूर संदेश का प्रकाशन

आरम्भ के दिन गांधीजी द्वारा बताये गये मजदूर आंदोलन के सिद्धांत समझाने, सम्पर्क बढ़ाने, संघ के सदस्य बनाने आदि में व्यतीत हो गये। इसी समय देश में भावी स्वतंत्रता आंदोलन की फिजा बनना शुरू हो गई थी। मजदूरों तक गांधीजी का संदेश पहुँचाने, गांधीजी के बताये मजदूर आंदोलन के सिद्धांत समझाने, दुनिया के मजदूर आंदोलन की जानकारी देने आदि के लिये जितने कार्यकर्ता चाहिये उतने कार्यकर्ता उपलब्ध नहीं होने से यह विचार किया गया कि कार्यकर्ताओं की कमी एक पत्र द्वारा पूरी की जा सकेगी। अतः शासन से लिखा पढ़ी कर पत्र के लिये आज्ञा ली गई। कई प्रकार की कठिनाईयों के बाद २५-८-१९४२ को प्रकाशन आज्ञा मिली। १-९-१९४२ को 'मजदूर सन्देश' का प्रथम अंक प्रकाशित किया गया। लेकिन पाठकों के हाथ में पहुँचाने से पहले ही पुलिस ने उक्त अंक की सब प्रतियां जप्त कर लीं और इसी दिन श्री रामसिंह भाई और श्री द्रविड गिरफ्तार कर लिये गये। प्रेस को भी आज्ञा दी गई कि 'मजदूर संदेश' नहीं छापा जाये। श्री द्रविड तथा श्री रामसिंह भाई लगभग सवा वर्ष तक जेल में रहे। इस बीच संघ का काम साधारण रूप से चलता रहा। शिकायतें आदि हल करने के अतिरिक्त, संघ के प्रयत्नों से कपड़ा मिलों के श्रमिकों को पौन महिने का बोनस भी दिया गया। संघ ने यह भी मांग की कि इन्दौर के श्रमिकों को अहमदाबाद के आधार पर मंहगाई भत्ता दिया जाये।

रिहाई और फिर कार्य क्षेत्र में

श्री द्रविड़ एवं श्री रामसिंह भाई जेल से रिहा होते ही फिर मजदूरों की सेवा में लग गये। आपके प्रयत्नों से मजदूर संदेश पर लगाई गई पाबंदी दिनांक ९-२-१९४४ को उठाली गई और १०-२-४४ को मजदूर संदेश का दूसरे वर्ष का प्रथम अंक प्रकाशित किया गया।

कोयले की कमी : भरपाई

इन्दौर की मिलों में सन् १९४४ के आरम्भ से ही सारे देश की भांति कोयले की कमी महसूस की जा रही थी। कोयले की कमी क्यों हुई इसकी विगत में न

जाकर हम यहां कोयले की कमी के कारण मिल बन्द रहने पर संघ ने श्रमिकों को भत्ता दिलाने के जो प्रयत्न किये उनकी चर्चा करेंगे। संघ के संयुक्त प्रतिनिधि मंडल ने दिनांक ३१-५-४४ को एक प्रस्ताव किया। प्रस्ताव में कोयले की कमी के कारण श्रमिकों को होने वाली परेशानी तथा इस सम्बन्ध में उद्योग की जिम्मेदारी की चर्चा करते हुए मांग की गई कि 'ऐसी हालत में न सिर्फ इन्सानियत और इन्साफ के ही नाते, लेकिन मजदूर और उद्योग के फायदे के लिये भी यह जरूरी है कि गये जितने दिनों से मिलें लगातार बंद हैं, तथा आगे भी जब कभी इस तरह बीच बीच में बन्द रहने का मौका खड़ा हो जाये तब उसके लिये मजदूरों को शहर में अपना गुजर बसर करने लायक जरूरी भत्ता (रिटेनिंग अलाउंस) दिया जाय। संघ की मांग मिल मालिकों द्वारा अस्वीकृत किये जाने पर सारा प्रकरण पहिले तत्कालीन होल्कर राज्य के कामर्स मिनिस्टर तथा बाद में श्रीमंत होल्कर नरेश के सम्मुख प्रस्तुत किया गया।

भत्ते का प्रश्न कौंसिल में

कोयले की कमी के कारण मिलों की बन्दी और बन्द दिनों के भत्ते का प्रश्न तत्कालीन होल्कर राज्य की धारा सभा में भी प्रस्तुत किया गया। धारा सभा में प्रस्ताव रखा गया कि कोयले की कमी व दीगर कारणों से मिल बन्द रहने पर मजदूरों को उनके निर्वाह लायक भत्ता दिया जाये। प्रस्ताव का प्रजामंडल पक्ष के नेता श्री कोठारीजी और स्वतंत्र सदस्य श्री किबे ने समर्थन किया जब कि मिल मालिकों की ओर से प्रस्ताव का विरोध किया गया। अंत में प्रस्ताव २५ के विरूद्ध ५ मतों से स्वीकार कर लिया गया। कई दिनों तक यह प्रकरण चलने के बाद अंत में पगारों का पचास प्रतिशत बंद का भत्ता दिया गया।

नये स्टेंडर्ड की मांग

१९४५ में संघ ने पगारों के नये स्टेंडर्ड के संबंध में मांग रखी। इसके पूर्व इन्दौर की कपड़ा मिलों में मनचाहा पगार दिया जाता था। मिल मालिक इन पगारों में भी दबे छुपे कटौत्रे किया करते थे। इसलिये संघ ने पगार संबंधी सभी सवालों का कायमी और सच्चा हल निकालने की दृष्टि से नई मांग रखी।

काम के घंटे ९ से १०

इसी वर्ष द्वितीय युद्ध बंद होने पर संघ ने इन्दौर की मिलों के काम के घंटे १० से घटाकर ९ करने की भी मांग रखी। इस सम्बन्ध में संघ की ओर से सम्बन्धित व्यक्तियों तथा संस्थाओं से लिखा पढ़ी आरम्भ की गई। इस अवसर पर कम्युनिस्टों ने सदा की भांति काम के घंटे कम कराने का विरोध कर अपने मजदूर विरोधी रूख का परिचय दिया।

१९४५ के बोनस की मांग

इन्दौर में काम के घन्टे १० से घटाकर ९ करने का आंदोलन चल रहा था इसी बीच भारत के अन्य भागों में काम के घन्टे प्रति दिन ९ से ८ और सप्ताह में ४८ करने का विचार चल रहा था। भारत सरकार ने नये कारखाना कानून के मसविदे में काम के घन्टे उपरोक्त प्रकार से करना प्रस्तावित किया। इन्दौर मिल मजदूर संघ के संयुक्त प्रतिनिधि मण्डल ने दिनांक २०-१-१९४५ को दो प्रस्ताव मंजूर किये पहले प्रस्ताव में १९४५ के बोनस के रूप में तमाम मुलाजिमों, कारीगरों तथा ठेकेदारों के मातहत काम करने वाले मजदूरों को सालाना कमाई का चौथा भाग बोनस के रूप में बिना शर्त एक मुश्त देने की मांग रखी गई।

दूसरे प्रस्ताव में कहा गया कि भारत सरकार फेक्ट्री एक्ट में सुधार कर मजदूरों के काम के घन्टे रोजाना ८ या हफ्ते में ४८ मुकर्रर करने का सोच रही है प्रस्ताव में आगे चलकर कहा गया कि इन्दौर में काम के घन्टे १० से घटाकर ९ करने की मांग सरकार द्वारा मंजूर किये जाने पर भी उसे अभी अमली स्वरूप नहीं दिया गया है। अंत में प्रस्ताव में मांग की गई कि जब ब्रिटिश भारत में काम के घन्टे ८ हो जावें तब इन्दौर में भी काम के घटे ८ किये जावें।

संघर्ष की संभावना

काम के घन्टे १० से घटाकर ९ करने के सम्बन्ध में कई दिनों तक चर्चा चलती रही। अन्त में जब यह मालूम होने लगा कि चर्चा का कोई नतीजा जल्दी निकले ऐसी उम्मीद नहीं है तो मजदूर संघ ने १८-१२-४४ को मिल मालिकों और सरकार को चुनौती दी कि यदि नये वर्ष के आरम्भ अर्थात १ जनवरी १९४६ से काम के घन्टे घटाकर ९ नहीं किये गये तो कोई भी श्रमिक ९ घन्टे से अधिक काम नहीं करेगा। इस सम्बन्ध में जो प्रस्ताव स्वीकृत किया गया उसमें यह भी कहा गया कि यदि सरकार यह अश्वासन दे कि दो जनवरी को कार्यालय खुलने के पश्चात दो दिन के अन्दर सरकार काम के घन्टे ९ करवा देगी तो संघ अपनी चुनौती पर दो दिन के लिये अमल मुल्तवी रखेगा। संघ ने अपने इस प्रस्ताव का मोहल्ले मोहल्ले में व्यापक प्रचार किया।

इन्दौर के कम्युनिस्ट इस अवसर पर चुप कैसे रह सकते थे। उन्होंने प्रचार किया कि यदि काम के घन्टे ९ कर लिये गये तो फिर ८ नहीं हो सकेंगे और यह भी कि मिल मालिक १०, १२ दिन में काम के घन्टे घटाकर ९ करने ही वाले हैं इसलिये संघ के आव्हान पर मजदूरों को अमल नहीं करना चाहिये। लेकिन इन्दौर के मजदूर अब तक कम्यूनिस्टों के तौर तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके थे इसलिये कम्यूनिस्टों की बातों का उन पर कोई असर नहीं हुआ।

१ जनवरी का दिन आया उस दिन संघ के कार्यालय में श्रमिकों की विशाल सभा आयोजित की गई। श्रमिक आना आरम्भ हो गये थे। इस बीच तत्कालीन होल्कर राज्य के वाणिज्य मंत्री श्री ढंढा ने संघ के मंत्री को बुलाया और लगभग २ घंटे तक चर्चा हुई। संघ की ओर से स्पष्ट कह दिया गया कि हम चुनौती वापिस लेने को तैयार नहीं हैं। अंत में यह निर्णय हुआ कि ४ जनवरी से मिलें ६ घंटे चलेंगी और एक घंटा कम होने से ठेके वाले मजदूरों के पगारों में जो कमी होगी उसकी तीन महीनों तक जांच की जायगी। और इस कमी को पूरी करने के बारे में संघ और मिल मालिकों के बीच यदि कोई वाजिब समझौता नही हुआ तो सरकार उसका फैसला देगी। आखिर ४ जनवरी १६४६ से इन्दौर की कपडा मिलों में काम के घंटे ६ हो गये। इस पर मिलों की पाली शुरू और बन्द होने के समय में भी विवाद खडा हुआ जो आपसी चर्चा से सुलझा लिया गया।

तीन नये प्रस्ताव

संघ को काम के घंटे कम करने में सफलता मिलने पर इन्दौर के श्रमिक द्वारा संघ के कार्यकर्ताओं का स्वागत करने के हेतु ६ जनवरी १६४६ को एक आम सभा हुई उस में एक प्रस्ताव के द्वारा ये मांगे रखी गई:—

१ ब्रिटिश भारत की तरह इन्दौर में भी फैक्ट्री एक्ट में सुधार कर मजदूरों को पगार के साथ रजा दी जाये।

२ इन्दौर के मजदूरों की कई हक्क की छुट्टीयों को उडाकर मालिकों ने सेक्शनल बना दी है और वे इन छुट्टीयों का पगार और मंहगाई भत्ता काटते हैं। यह छुट्टीयां पहले ही की तरह बराबर दी जाये और उनका पगार और मंहगाई भत्ता काटा न जाये।

३ हुकुमचन्द मिल के रात पाली के कारीगरों को बिजली बन्द हो जाने से जो बार बार और काफी लम्बे समय की बेकारी का शिकार होना पडता है उसमें उन्हें कुछ राहत मिले ऐसी योजना अमल में लाई जाये।

सुदृढ संगठन का निर्माण

कोयले की कमी के कारण मिल बन्दी के दिनों की भरपई, काम के घन्टे १० से घटाकर ६ करवाये जाने और ठेके वाले श्रमिकों के पगारों में, काम के समय में कमी होने के कारण जो कमी आई थी उसकी भरपाई दिलाना ऐसी बातें थीं जिनके कारण इन्दौर के मजदूरों का कम्यूनिस्टों पर जो रहा सहा विश्वास था, वह भी उठ गया। विश्वास की जडें, जून १६४६ में जो हडताल और तालेबन्दी हुई, उसके कारण सदैव केलिये हिल गई और जिस गति से कम्युनिस्टों ने इन्दौर के श्रम आन्दोलन में प्रवेश किया था उससे भी अधिक तीव्र गति से वे मजदूर आन्दोलन से बाहर निकाल दिये गये।

अखिल भारतीय नीति का अनुसरण

तथा कथित लोक युद्ध की समाप्ति और भारत का आजादी की दिशा में तेज गति से कदम उठाना, कम्यूनिस्टों को जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। कम्यूनिस्टों ने, जब भारत संक्रमण काल से गुजर रहा था तब ऐसी नीति अपनाई जो सर्वथा राष्ट्र विरोधी और हिंसात्मक थी।

कम्यूनिस्टों की इस अखिल भारतीय नीति के अनुसार इंदौर में थी यह कोशिश रही कि इन्दौर में भी आम हडताल, उपद्रव आदि करवाये जायें। इसी उद्देश्य को लेकर कम्यूनिस्टों ने २४ मई १६४६ को ऐलान किया कि कपडा मिलोंके मजदूरों की बहुत सी मांगे पिछले कई दिनों से बाकी हैं। कम्यूनिस्टों ने मांगो की एक लम्बी फेहरस्ती बनाई और मजदूरों का आव्हान किया कि पिछले कई दिनों से मजदूर सभा इन मांगों को पूरी करवाने के लिये कोशिश कर रही है लेकिन इन प्रयत्नों में कामयाबी नहीं मिली। इसलिये मजदूरों को ११ जून १६४६ को आम हड़ताल कर देना चाहिये।

जनमत हड़ताल के विरुद्ध

कम्यूनिस्टों ने हड़ताल के पक्ष में जनमत बनाने के लिये नगर की विभिन्न राजनीतिक संस्थाओं को पत्र लिखे और मोहल्लों में जाकर प्रचार भी किया लेकिन कम्यूनिस्टों के इस प्रचार का कोई असर हुआ हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। प्रजामंडल मजदूर संघ, तथा अन्य संस्थाओं ने, कम्यूनिस्टों द्वारा जबरदस्ती करवाई जाने वाली इस हड़ताल का विरोध किया। कम्यूनिस्टों ने अन्य संस्थाओं तथा मजदूर संघ द्वारा आयोजित आम सभाओं में भरसक विघ्न खड़े करने की कोशिश की।

हड़ताल और तालेबन्दी

कम्यूनिस्ट ने अपने ऐलान के मुताबिक ११ जून १६४६ को सुबह से ही मिलों के फाटकों पर जा डटे। चूंकि वे जानते थे कि मजदूर उनके नारे के साथ नहीं हैं इसलिये वे काम पर जायेंगे। अतएव कम्यूनिस्टों ने फाटक पर पिकेटिंग के लिये महिलाओं तक को खड़ा किया, फिर भी हजारों मजदूर अन्दर गये। कम्यूनिस्टों ने अन्दर भी उपद्रव मचाया लेकिन इसके बावजूद भी ६० प्रतिशत मजदूर काम पर डटे रहे। ११ जून का दिन इसी प्रकार बीता। अन्त में १३ तारीख को मिल संचालकों ने इस आशय का नोटिस लगाया कि मजदूर सभा की गुन्डागिरी के कारण इच्छा होने पर भी मजदूर काम पर नहीं आसकते और नगर में अशान्ति फैलने का डर है, अतएव जब तक शान्ति कायम नहीं होजाती तबतक के लिये मिल बन्द किये जाते हैं।

ताले बन्दी के बीच कम्युनिस्टों के प्रमुख कार्यकर्ता श्री मिरजकर आये। उन्होंने उद्योग मन्त्री श्री ढंढासे भी चर्चा की लेकिन उन्होंने मजदूरों को यह बताने का कष्ट नहीं किया कि उनकी क्या चर्चा हुई थी। अन्त में २४ जून १६४६ को मिल फिर प्रारंभ हुए

इस प्रकार कम्यूनिस्टों ने इन्दौर के २६ हजार मजदूरों के साथ जो भयंकर खिलवाड़ किया था, उसका अन्त हुआ। कम्युनिस्टों ने इस हड़ताल और ताले बन्दी को इन्दौर के मजदूरों की बहुत बड़ी कामयाबी कह कर पुकारा। इन्दौर के मजदूरों ने जब इस कामयाबी की विगती सुनी तो उनकी आंखों में आंसू आगये। हड़ताल और तालेबन्दी का फैसला यह हुआ था कि मजदूर बिना शर्त काम पर चले जायें और उसके बाद ही उनकी मांगों विचार करना सम्भव होगा !!

इसके बाद भी इन्दौर के कम्युनिस्ट छोटी-मोटी मांग और शिकायत को लेकर इन्दौर के मजदूरों को उभाड़ते-भड़काते रहे लेकिन मजदूर सभा (कम्युनिस्ट) इन्दौर के मजदूरों का आज तक एक भी सवाल हल नहीं करा पाई।

पगारों के स्टेन्डर्ड की कहानी

मजदूर संघ ने इन्दौर के मजदूरों की पगारों के स्टेन्डर्ड की मांग १९४१ से ही कर रखी थी लेकिन अभी तक उसका कोई ठोस नतीजा सामने नहीं आया था। स्टेन्डर्ड के साथ ही पगारी छुट्टीयां, तालेबन्दी का मुआवजा, संघ को मान्यता, महिने में दो पगार, सालाना बोनस आदि के सवाल भी खटाई में डले हुए थे। अन्त में मजदूर संघ ने निश्चय किया कि इस दिशा में प्रभाविक कदम उठाना ही होगा। संघ के प्रतिनिधि मण्डल की १२ फरवरी १९४७ की संयुक्त बैठक में मिल संचालकों को अल्टीमेटम देने का निश्चय किया। अल्टीमेटम में यह मांग रखी गई कि या तो हमारी मांग मन्जूर करो अथवा उन्हें पन्च फैसले के लिये सौंप दिया जाय।

पंच मुकर्रर करने के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच काफी पत्र-व्यवहार हुआ। अन्त में सबसे पहिले मार्च १९४७ में पगारी छुट्टियों की मांग मन्जूर कर ली गई। बाकी मांगों के बारे में चर्चा जारी रही। मिल मालिकों ने अन्य मांगों के सम्बन्ध में पंच नियुक्त करने के प्रश्न पर काफी आना कानी और टालमटोल की। मार्च तक वे इस प्रश्न को टालते रहे। अन्त में संघ ने विवश होकर हड़ताल की तैयारी आरम्भ की। हड़ताल के सम्बन्ध में बेलेट लिये गये उसमें २५ हजार मजदूरों में से १८९८७ मजदूरों ने हड़ताल के पक्ष में, २०२ मजदूरों ने हड़ताल के विरोध में मत दिए। १३२ मत रद्द हुए। मजदूर संघ द्वारा की जाने वाली इस हड़ताल का देशी राज्य लोक-परिषद् के अध्यक्ष, प्रजा मण्डल, म्युनिसिपल कौन्सिल आदि ने भी समर्थन किया।

आखिर पंच कायम हुए

संघ के प्रयत्नों के फल स्वरूप मजदूरों की मांग उद्योग मन्त्री श्री ढंढा के जरिये मन्त्री-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई। मन्त्री-मण्डल की १५-४-४७ की बैठक में निर्णय दिया गया कि संघ ने जिन मांगों के सम्बन्ध में पंच का प्रस्ताव रखा था उनके सम्बन्ध में चीफ जस्टीस श्री भिड़े, श्री व्ही. सी. सरवटे और डायरेक्टर आफ इन्डस्ट्रीज श्री नारायण स्वामी के पंच मण्डल को सौंप दिया जाय। पन्च-मण्डल जो फैसला देगा वह सरकार की सील के साथ दोनों पक्षों को बन्धन-कारक और अन्तिम होगा।

पगारों का स्टेन्डर्ड

आखिर मई १९४८ में पगारों का स्टेन्डर्ड घोषित किया गया जो १५ अगस्त १९४७ से अमल में आया। पगारों का यह स्टेन्डर्ड अहमदाबाद और बम्बई के समान ही था कुछ बातों में तो उपरोक्त दोनों केन्द्रों की अपेक्षा भी अधिक प्रगतिशील

कहा जा सकता है। पगारों का स्टेन्डर्ड होजाने से इन्दौर के मजदूर आन्दोलन को और बल मिला, वह अधिक संगठित होकर अपने हकों तथा अधिकारों के लिये जागरुक होगया।

बोनस के फैसले

इन्दौर मिल मजदूर संघ बोनस के लिये फिर प्रयत्नशील हुआ। सन् १९४६ में बोनस के रूप में दो माह का पगार दिया गया जो कि एक दरम्यानी फैसले के अनुसार था। इसके बाद संघ ने प्रयत्न करके १५ अगस्त १९४७ का आजादी बोनस दिलवाया जो एक माह की पगार के बराबर था।

होल्कर नरेश की घोषणा

इन्दौर मिल मजदूर संघ सदा से ही राष्ट्रपिता पूज्य गाँधीजी की जयन्ती मनाता आरहा है लेकिन स्वतन्त्र भारत में पूज्य बापू की प्रथम जयन्ती को विशेष महत्व प्राप्त हुआ क्योंकि इन्दौर मिल मजदूर संघ द्वारा आयोजित गांधी जयन्ती के कार्यक्रमों मे श्रीमन्त यशवन्तराव होल्कर भी पधारे और उन्होंने इन्दौर मिल मजदूर संघ के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर श्रीमन्त होल्कर नरेश ने कई घोषणाएं की जिनमें एडवर्ड हाल को गांधी हाल, राज्य के श्रमिकों के विकाश के लिये प्रतिवर्ष १२ हजार रुपये देने, राज्य में कालेज तक निशुल्क महिला शिक्षण एवं इसके अलावा महंगाई से राहत देने के सम्बन्ध में भी घोषणाएं की गई।

श्री द्रविड़ मन्त्री-मंडल में

होल्कर राज्य में आरम्भ में दो लोक-प्रिय मन्त्री लिये गये थे। श्रीमन्त होल्कर नरेश ने १६ नवम्बर १९४७ को विशेष गजट द्वारा घोषित किया कि मंत्री मंडल में लोक प्रिय मंत्रियों की संख्या बढ़ाकर दो से चार कर दी गई है। नये मंत्री गणों में श्री व्ही. व्ही. द्रविड़ और श्री व्ही. सी. सरवटे लिए गए। श्री द्रविड़ को श्रम विभाग सौंपा गया।

मजदूरों के प्रतिनिधि नगर सेविका में

देश की बदलती फीजा के साथ इन्दौर में भी यह अनुभव किया गया इतने विशाल औद्योगिक नगर की नगर सेविका में एक भी श्रमिक प्रतिनिधि का न होना खटकने जैसी बात है। अतएव मजदूरों के अनन्य सेवक और कार्यकर्ता श्री छोटेलालजी पन्नालालजी म्यूनिसिपल कौन्सिल में शासन की ओर से मजदूरों के प्रथम प्रतिनिधि नियुक्त किये गये। श्री छोटेलालजी भी श्रमिक रहे हैं और जिन दिन आप कौन्सिल में नियुक्त किये गये, राजकुमार मिल में काम कर रहे थे।

श्रमिक बस्ती का श्रीगणेश

इन्दौर में लोकप्रिय श्रम मन्त्री श्री व्ही. व्ही. द्रविड के नियुक्त होने के साथ ही मजदूरों को आगे बढ़ाने तथा ऊंचा उठाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य शुरू हुए। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, मजदूरों के लिये मकान बनाने का श्रीगणेश।

उद्योग सम्बन्धी कानून

इन्दौर मिल मजदूर संघ के संस्थापक तथा गांधीजी के अनुयायी श्री गुलजारीलालजी नन्दा ने अपने श्रम मंत्रित्व काल में बम्बई के मजदूरों को ऐसा कानून दिया जिसकी मिसाल दुनिया में अन्य कहीं नहीं मिलती है। इन्दौर मिल मजदूर संघ ने एक प्रस्ताव द्वारा यह मांग की कि उपरोक्त कानून इन्दौर की कपड़ा मिलों में भी लागू किया जाय। अन्त में सरकार ने जून १९४८ में उपरोक्त कानून लागू कर दिया और उसके अनुसार विधान में वर्णित तमाम अधिकारियों की नियुक्ति की गई।

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का निर्माण

मई १९४८ में देश के गांधीवादी श्रमिक कार्यकर्ताओं की देहली में बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता भारत के तत्कालीन उपप्रधान मन्त्री सरदार श्री वल्लभ भाई पटेल ने की। उसमें निर्णय किया गया कि राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के नाम से मध्यवर्ती श्रम संगठन का निर्माण किया किया जाय। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुवा और आरम्भ में ही इन्दौर मिल मजदूर संघ राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस से सम्बद्ध होगया।

श्री द्रविड़ मध्यभारत के मंत्रिमण्डल में

सरदार पटेल ने भारत के देशी राज्यों के एकीकरण का कार्य १९४७ में आजादी मिलने के तुरन्त बाद ही आरम्भ किया। ग्वालियर, इन्दौर तथा मालवे के अन्य छोटे बड़े राज्यों को मिलाकर २८ मई १९४८ को मध्यभारत का निर्माण हुआ। मध्यभारत निर्माण पर व्ही. व्ही. द्रविड मध्यभारत मन्त्रिमण्डल में लिये गये।

श्रम कल्याण केन्द्र

औद्योगिक श्रमिकों के बीच कल्याणकारी कार्य करने की दृष्टि से इन्दौर मिल मजदूर संघ ने अपना एक अलग विभाग खोलने का निश्चय किया। इस निश्चय के अनुसार ८ दिसम्बर १९४८ को इन्दौर के सुप्रसिध्द एडवोकेट श्री चितले ने परदेशीपुरे में श्रम कल्याण केन्द्र का उद्घाटन किया।

सन् १९४७ का बोनस

इन्दौर की कपड़ा मिलों के श्रमिकों के बोनस का सवाल औद्योगिक अदालत के सन्मुख गया। औद्योगिक अदालत के न्यायाधीश महोदय ने इस सम्बन्ध में एक

महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसमें कहा गया कि इन्दौर की मिलों को जो नुकसान उठाना पड़ रहा है उसके लिए कपड़ा मिलों के मजदूर जुम्मेदार नहीं है। अतएव इस आधार पर मजदूरों को १९४७ का बोनस रूपये पर दो आने अथवा साढ़े बारह प्रतिशत देने का निर्णय दिया गया। इस बोनस के सम्बन्ध में मिल मालिकों ने तरह तरह के अडंगे डाले। स्थिति यहां तक पहुँची कि सरकारी लेबर आफीसर को इन्दौर की मिलों के संचालकों के विरुध्द, बानस न देने के कारण दावा दायर करना पड़ा।

राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस का अधिवेशन

राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस का दूसरा अखिल भारतीय अधिवेशन इन्दौर में हुआ। जिसका उद्घाटन सरदार वल्लभभाई पटेल ने किया था। इसके स्वागताध्यक्ष श्री रामसिंहभाई वर्मा और स्वागत-मन्त्री श्री गंगारामजी तिवारी निर्वाचित किये गये। अधिवेशन को सफल बनाने में इन्दौर के श्रमिकों ने तन-मन-धन लगा दिया। इन्दौर अधिवेशन की याद राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के विभिन्न प्रतिनिधियों के दिलों में आज भी ताजा है। अधिवेशन के अवसर पर इन्दौर के श्रमिकों ने अतिथि सत्कार की एक गौरव-मयी परम्परा डाली जो आज भी कायम है।

संयुक्त समिति का निर्माण

मध्यभारत निर्माण के पश्चात मध्यभारत में भी बम्बई औद्योगिक सम्बन्ध विधान अंगीकृत किया गया। इस विधान के अनुसार १९५० के मध्य में इन्दौर की कपड़ा मिलों में मेनेजमेन्ट तथा मजदूरों के प्रतिनिधियों की मिलीजुली संयुक्त समितियाँ बनाई गई।

सन् १९४८ के बोनस की मांग

इन्दौर मिल मजदूर संघ ने १९४८ के बोनस की मांग रखी। आपसी समझौता न हो सकने के कारण आखिर में यह सवाल औद्योगिक अदालत के सामने रखा गया। संघ की ओर से सर्व श्री द्रविड़ एवं श्री चितले ने औद्योगिक अदालत में मजदूरों का पक्ष रखा। औद्योगिक अदालत ने फैसला दिया कि ५ दिसम्बर १९४९ तक इन्दौर की कपड़ा मिलों के मजदूरों को पोने चार माह का बोनस चुका दिया जाय।

कल्याण मिल की बन्दी

इन्दौर की औद्योगिक स्थिति इन दिनों काफी चिंताजनक थी—कल्याण मिल द्वारा बन्दी का नोटिस लगाये जाने से स्थिति और भी गम्भीर हो गई। मजदूर संघ ने कल्याण मिल को चालू रखने की दिशा में हर प्रकार के प्रयत्न किये और अन्त में यह भी प्रस्ताव किया कि यदि कल्याण मिल के पास मिल चलाने को पैसा नहीं हो तो इन्दौर के मजदूर १९४८ के बोनस की रकम में से दो तिहाई रकम मिल चलाने के लिये देने को तैयार है। अन्त मे मिल बन्द नहीं हुआ।

मालवा मिल की दुनिया न्यारी

मालवा मिल का सदा से ही मजदूर विरोधी रूख रहा है जिसमें इन पंक्तियों के लिखे जाने तक भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। सन् १९५० में जुलाई माह में तो मालवा मिल हद दर्जे की गुन्डागिरी पर उतारु हो गया था।

मालवा मिल के संचालकों ने संघ के प्रतिनिधियों को अन्दर आने तक से रोका। श्री द्रविड़ और श्री रामसिंह भाई जब अन्दर जाने लगे तो मालवा मिल के संचालकों के इशारों पर उन्हें गेट पर पीटा गया। इस पर इन्दौर की तमाम मिलों में हड़ताल हो गई। तमाम मजदूर मालवा मिल के गेट पर उलट गये। अन्त में मेनेजमेन्ट ने श्रमिक कार्यकर्ताओं को अन्दर जाने दिया। इस अवसर पर इन्दौर के मजदूर नेताओं, कार्यकर्ताओं तथा स्वयं मजदूरों ने शान्ति, अनुशासन तथा अहिंसा का जो उदाहरण प्रस्तुत किया वह दुनिया के इतिहास में कहीं देखने को नहीं मिलता है।

औद्योगिक संकट के बादल

१६४६ के आरम्भ से रूई की कमी और उत्पादन खर्च में वृद्धि आदि का सहारा लेकर सारे देश के मिल संचालकों ने मिलों की पालियां बन्द करने के नोटिस लगाना आरम्भ कर दिया था। इसका असर इन्दौर की मिलों पर भी होना आरम्भ हुआ। सबसे पहिले स्वदेशी मिल में २२ अगस्त को यह नोटिस लगाया कि वह २२ सितम्बर १६४६ से स्थाई आज्ञाओं के अन्तर्गत मिल की तीसरी पाली बन्द कर देगा। स्वदेशी मिल की तीसरी पाली मे लगभग एक हजार मजदूरों के जीवन-मरण का प्रश्न था। इन्दौर मिल मजदूर संघ ने इस सम्बन्ध में तुरन्त कदम उठाया और लेबर कोर्ट में मामला दायर किया। कोर्ट ने फैसला दिया गया कि स्वदेशी मिल तीसरी पाली बन्द नहीं कर सकता इस प्रकार स्वदेशी मिल के मजदूरों पर जो संकट आया था वह टल गया।

मजदूर क्षेत्र में गोलीकांड और गुन्डागिरी

मालवा मिल की सदा से ही यह नीति रही है कि वह अपने यहाँ पर एक फिरके के मजदूरों को दूसरे के विरूद्ध प्रोत्साहन देता और गुन्डागिरी के लिये उकसाता है। मजदूर संघ कार्यकर्ताओं ने मालवा मिल के संचालकों और शासन के अधिकारियों को बार बार इस सम्बन्ध में चेतावनी दी; लेकिन मालवा मिल ने अपना रवैया नहीं सुधारा। उसका परिणाम एक दिन यह आया कि मालवा मिल के गेट पर मजदूर और पोलिस में भयंकर संघर्ष हुआ जिसमें परिणाम स्वरूप पोलिस के अधिकारी श्री जोशी और ए६ पोलिस जवान को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा। यह घटना इस प्रकार हुई की मालवा मिल में नोटिस लगाया गया कि बाईडिंग खाते में काम की कमी के कारण सभी महिला श्रमिकों को काम नहीं मिल सकेगा। इस पर मेनेजमेन्ट द्वारा पाली लगाई गई और मेनेजमेन्ट द्वारा पनपाई गई विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि मजदूरों को हड़ताल के लिये भड़काने लगे। आखिर उन्होंने महिलाओं को इस हद तक भड़काया कि वे हड़ताल करने के लिये आमादा होकर निकल पड़ीं और उन्होंने सा‌ज खाते तथा एन्जिन पर भी हड़ताल करवाने की कोशिष की। इन्जिन बन्द होने पर मेनेजमेन्ट ने अनिश्चित काल के लिये मिल बन्द करने का नोटिस लगा दिया। नोटिस लगाते ही सारे मिल में भगदड मच गई। महिला श्रमिकों ने गेट पर पिके- टिंग शुरु किया। इस प्रकार मजदूरों का हुजूम बढ़ता ही गया। इसी समय सिटी सुप्रिटेन्डेन्ट पोलिस श्री जोशी आठ दस जवानों को लेकर मिल के गेट पर आये और उन्होंने हाथ जोडकर निवेदन किया कि वे गेट पर से हटजावें। इतने में ही कुछ गुण्डे श्री जोशी जी पर टूट पड़े और उन्हें सरिये, पत्थर आदि मारने लगे। श्री

जोशी जी के गुंडों द्वारा घेर लिये जाने और उनको कातिलाना हमले से बचाने के लिये जब कोई रास्ता नही रहा तब पोलिस इन्सपेक्टर श्री नारायणसिंह ने पांच हवा में और चार राऊन्ड जमीन पर फायर किये। कारतूस खतम होते ही श्री जोशी जी को फिर घेर लिया और मालवा मिल के दरवाजे के बाहर चौराहे पर उन्हें धराशायी कर दिया गया। गुन्डों ने श्री जोशी को पिटाई तबतक की जबतक उन्हें यह विश्वास नहीं हो गया कि श्री जोशी निष्प्राण हो गये हैं। इसके बाद कुछ गुन्डों ने यहां तक प्रयत्न किया कि वे जलता हुआ वेस्टे ले आये और श्री जोशी को जलाने की कोशिश करने लगे। इतने में पोलिस की कुमुक बडी संख्या में पहुंच गई और गुन्डे तितर-बितर हो गये। श्री जोशी का अन्त में १२-५५ पर महाराजा तुकोजीराव अस्पताल में देहान्त हो गया। २० अगस्त १९५० की इस घटना के कारण इन्दौर के श्रमिक सारे देश में बदनाम हुए। मजदूर संघ ने मालवा मिल मेनेजमेन्ट द्वारा गुन्डों को पनपाने की नीति का तीव्र विरोध करते हुए एक प्रस्ताव स्वीकृत किया जिसमें श्री जोशी तथा अन्य मृतकों के प्रति श्रध्दांजली अर्पित की गई थी।

राजकुमार मिल बन्दी का प्रश्न

राजकुमार मिल मेनेजमेन्ट जिस नीति पर चलता रहा है इसकी समय समय पर मजदूर संघ के नेताओं ने स्पष्ट और खुली आलोचना की है। आलोचनाओं में यह भी बतलाया गया कि राजकुमार मिल घाटा क्यों करता हैं। लेकिन राजकुमार मिल इन दलीलों को नहीं सुनते हुए अपनी सदा की नीति पर कायम रहा और एक दिन वह आया जब राजकुमार मिल मेनेजमेंट ने मिल बन्दी का नोटिस लगा दिया। इस सम्बन्ध में मजदूर संघ के नेताओं ने देहली तक प्रयत्न किये। इसके फलस्वरूप ८ अगस्त १९५० को इन्दौर मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री व्ही. व्ही. द्रविड़ और प्रधान मंत्री श्री रामसिंहभाई तथा मेनेजमेन्ट के प्रतिनिधियों को योजना मंत्री श्री गुलजारीलालजी नन्दा ने देहली आमन्त्रित कर चर्चाए कीं। चर्चाओं के फलस्वरूप यह निश्चित किया गया कि राजकुमार मिल का प्रश्न टेक्सटाईल इनक्वाईरी कमेटी को जांच के लिये सौंप दिया जाय तथा मिल तालेबन्दी का नोटिस तत्काल वापस ले ले। लेकिन राजकुमार मिल ने उपरोक्त समझौते के विपरीत तालेबन्दी का नोटिस वापस नहीं लिया। राजकुमार मिल घाटे का शोर मचा कर मिल बन्द करने का प्रयत्न करता रहा लेकिन उसने घाटे को मुनाफे में बदलने के लिये कोई कदम नहीं उठाया। राजकुमार मिल की आरम्भ से ही यह नीति रही है कि मेनेजमेन्ट तथा परिवार के लोगों को बहुत बड़ी संख्या में नौकरी पर लगाया जाता रहा है। इसके अलावा स्टोर आदि का अनाप-शनाप खर्च मिल के माथे लगाया जाता रहा है।

अन्य मिलों में भी तालेबन्दी के नोटिस

राजकुमार मिल की तालेबन्दी का प्रश्न निपटा ही नहीं था कि इन्दौर की अन्य मिलों में भी ३० फरवरी १९५१ को नोटिस लगाये गये कि रुई के बड़े भावों के मुका-

बले में कपड़ों के भाव कम होने से मिलों को नुकसान हो रहा है। ऐसी स्थिति में मिलों को अधिक दिनों तक चलाना सम्भव नहीं होगा। अतएव मिल बन्द कर दिये जायेंगे। नोटिस के उत्तर में मजदूर संघ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि कपड़े के भाव सरकार द्वारा निश्चित किये जाते हैं। ऐसी स्थिति में यदि मिल संचालकों ने ताले-बन्दी का कदम उठाया तो मजदूर संघ इस बात को कभी बरदास्त नहीं करेगा। मजदूर संघ ने यह भी कहा कि इन्दौर मिल मजदूर संघ मालिकों द्वारा लगाये गये छटनी के नोटिसों का भी मुकाबला करेगा।

वर्क लोड करने की मांग

मध्यभारत मिल ओनर्स एसोसिएशन द्वारा २० मार्च १९५१ को मजदूर संघ को यह परिवर्तनेच्छापत्र दिया गया कि इन्दौर की मिलों में काम करने वाले श्रमिकों का मस्टर एवं काम का परिमाण निर्धारित किया जाय। अन्त में यह प्रश्न औद्योगिक विवाद बनकर संराधन अधिकारी के सम्मुख गया। दिनांक १-५-१९५१ को दोनों पक्षों के बीच यह निर्णय हुआ कि यह विवाद इन्दौर टेक्सटाईल इनक्वाईरी कमेटी को पंच निर्णय के लिये प्रस्तुत किया जाय। इस कमेटी में उस समय मध्यभारत के अर्थ विकास सलाहकार डा. एल. सी. जैन अध्यक्ष और श्री व्ही. व्ही. द्रविड़ तथा आर. सी. जाल सदस्य थे।

कन्सीलिएशन अधिकारी ने दिनाक २-५-१९५१ को उपरोक्त प्रकरण पंच को प्रस्तुत किया। पंच कार्यवाही के लिये निम्नलिखित मुद्दे दिये गये:—

(1) What should be the optimum workload for each occupation in different departments of all the processes and their connected work-sections in each of the local mills ?

(2) What should be the corresponding complement of labour in accordance with (1) above ?

(3) What should be the attendent working conditions to ensure smooth working in accordance with (1) and (2) above ? How would those conditions be attained and maintained ?

(4) How should the present employment of labour be adjusted to the basis in accordance with (2) abve ? What should be the conditions for regulating the retrenchment of workers, if necessary, due to the aforesaid workload and complement ?

(5) What should be the method of determining workload and dealing with surplus men, if any, if a mill changes in processes or improvement in machinery ?

(6) What should be the machinery for ensuring compliance with and dealing with matters arising out of the decisions arrived at hereunder ?

(7) Any other relevant matter in connection with the subject ?

पंच कमेटी की कार्यवाही काफी लम्बे समय तक चली। कमेटी ने जो निर्णय दिया वह १५ जनवरी १९५३ से अमल में आया।

पंच कमेटी ने निर्णय काफी सोच-विचार कर अध्ययन के बाद दिया गया है। इस सम्बन्ध में इतना ही उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि भारत की मिलों से आज तक वर्क लोड नहीं हुआ है। वर्क लोड होने से श्रमिकों तथा संचालकों की जो आपसी शिकायतें थीं वे समाप्त हो गईं और उससे व्यवस्था का निर्माण हुआ है।

राष्ट्रपति का आगमन

स्वतन्त्र भारत के राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसादजी दिनांक ६ मई को संध्या के ६ बजे श्रम शिविर में पधारे। आपने इन्दौर मिल मजदूर संघ द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न प्रवृत्तियों के प्रति संतोष प्रकट किया और आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति जी का भाव-भीनी स्वागत किया गया।

संचालकों व्दारा छटनी के प्रयत्न

श्रमिकों की जवाबदारी तथा काम का निर्धारण करने के लिए पंच निर्णय के चलते हुए भी १९५१ में मिल संचालकों ने छटनी के तरह तरह के प्रयत्न कर देखे लेकिन सुदृढ संगठन तथा सजग कार्यकर्ताओं के कारण मिल संचालक छटनी करने में सफल नहीं हो सके।

१९४९ के बोनस का प्रश्न

१९४९ के बोनस के सम्बन्ध में भी मिल मालिकों की ओर से यही दलील दी गई की घाटा होने पर बोनस नहीं दिया जा सकता। अन्त में बोनस का प्रश्न औद्योगिक अदालत में प्रस्तुत किया गया।

बदली कन्ट्रोल तथा वर्क्स कमेटी

२ अगस्त १९५१ को इन्दौर की मिलों में बदली कंट्रोल तथा वर्कस कमेटी की व्यवस्था की गई। यह योजना इन्दौर मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री व्ही. व्ही. द्रविड

और मिल ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री आर. सी. जाल ने सुझाई थी। बदली कंट्रोल के जरिये विभिन्न मिलों में बदली पर रखे जाने वाले श्रमिकों के नाम लिखे जाते थे और उन्हें उनकी योग्यता, काम के अनुभव आदि के आधार पर काम दिलवाये जाने की व्यवस्था की जाती थी। वर्कस कमेटी की योजना संक्षेप में इस प्रकार थी कि मजदूरों की कोई शिकायत एवं अन्य सवालों यदि खाते के अधिकारियों द्वारा हल नहीं होते हैं तो वे मेनेजमेंट व श्रमिकों के प्रतिनिधियों की एक मिली-जुली समिति द्वारा सुलझाये जायें। इन योजनाओं मे श्रमिकों तथा मेनेजमेंट को काफी लाभ हुआ लेकिन मेनेजमेंट द्वारा अन्त में ये कमेटियाँ बन्द करदी गई।

भावी नीधि योजना

इन्दौर मिल मजदूर संघ ने अपने एक प्रस्ताव द्वारा प्राविडेन्ट फन्ड अर्थात भावी नीधि योजना और ग्रेच्यूटी की मांग की थी। केन्द्रीय शासन ने इस मांग के औचित्य को स्वीकार किया और १५ नवम्बर १९५१ से एक आज्ञा प्रसारित की जिसके द्वारा कपड़ा, लोहा, सीमेंट इन्जिनियरिंग उद्योगों पर प्राविडेन्ट फन्ड योजना लागू की गई।

राष्ट्रनायक श्री जवाहरलाल नेहरू का स्वागत

प्रधान मंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू २ दिसम्बर १९५१ को इन्दौर पधारे। हवाई अड्डे पर मजदूर सेवादल के सैनिकों तथा मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं तथा सदस्यों द्वारा आपका भव्य स्वागत किया गया। तत्पश्चात् प्रधान मंत्री संध्या को श्रम शिबिर भी पधारे। श्रम शिबिर में प्रधान मंत्री का शानदार स्वागत किया गया। पं. नेहरू ने भाषण के दौरान में कहा कि आपका संगठन बहुत अच्छा है। अहमदाबाद के संगठन की तरह हिन्दुस्तान में इसकी भी इज्जत काफी है। आपका बड़ा अच्छा और तगड़ा स्वयंसेवक दल हैं। उसका अपना बेन्ड भी है। आपके कार्यकर्ता इमानदार और अच्छे काम करने वाले है। यहां मिल-जुल कर काम होता है, इसकी मुझे बड़ी खुशी है।

मजदूरों के प्रतिनिधि विधान सभा में

१९५२ के आरम्भ में भारतीय संविधान के अनुसार देश में प्रथम निर्वाचन हुए। इस अवसर पर इन्दौर मिल मजदूर संघ के श्री व्ही. व्ही. द्रविड़ तथा श्री रामसिंह भाई को कांग्रेस टिकिट दिये गये। दोनों महानुभाव अपने विरोधी उम्मीदवारों को भारी बहुमत से हराकर विधान सभा के लिये निर्वाचित किये गये। पश्चात् श्री दत्तात्रय पाटिल भी इन्दौर नगरपालिका के लिये निर्विरोध निर्वाचित किये गये।

राजकुमार मिल की तालेबन्दी और सत्याग्रह

राजकुमार मिल की जांच का काम चल ही रहा था इस बीच १ मई १९५२ को दिनपाली बन्द होने पर २ मई से राजकुमार मिल अनिश्चित समय के लिए बन्द करने का नोटिस लगा दिया गया। इन्दौर मिल मजदूर संघ ने राजकुमार मिल बन्दी के विरुद्ध तत्काल कदम उठाया और एक ओर जनता को सारी स्थिति बताने की दृष्टि तथा सच्चाई पर प्रकाश डालने के लिये आमसभा, जुलूस आदि आयोजित किये गये और दूसरी ओर वैधानिक कार्यवाही भी की गई। मजदूर संघ ने श्रम अदालत में दावा दायर किया। इस पर यह निर्णय हुआ कि राजकुमार मिल द्वारा मिल बन्दी का जो नोटिस लगाया गया है वह अशुद्ध और अपूर्ण है। राजकुमार मिल मेनेजमेंट को आज्ञा दी गई को वह मिल को अविलम्ब चलाये, बन्द दिनों का पूरा वेतन दे अथवा श्रमिकों को दो महिने का नोटिस वेतन दे। श्रम अदालत के इस निर्णय के विरुद्ध मिल कम्पनी द्वारा औद्योगिक अदालत में अपील की गई। औद्योगिक अदालत ने राजकुमार मिल बन्दी को कानूनी घोषित किया।

कानूनी और शासकीय कार्यवाही से जब मिल बन्दी का प्रश्न हल नहीं हुआ तब जून के आरम्भ में सत्याग्रह करने का निर्णय किया गया। सत्याग्रह की रूप-रेखा यह रखी गई कि प्रतिदिन १०-१० व्यक्ति मुख्यमंत्री और राजकुमार मिल के मेनेजिंग डायरेक्टर के निवास के सामने २४ घण्टे तक बिना अन्न जल ग्रहण किये बैठकर सत्याग्रह करेंगे।

सत्याग्रहियों का पहिला जत्था श्री रामसिंह भाई के नेतृत्व में २ जून १९५२ को श्रम शिबिर से अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना हुआ। सत्याग्रही नगर के विभिन्न मार्गों से राष्ट्रीय नारे लगाता हुए तुकोगंज पहुँचे। सत्याग्रहियों के साथ हजारों श्रमिक तथा नागरिक भी थे। इन्द्र भवन तथा मुख्यमंत्रीजी के निवास के दरवाजे के पास सत्याग्रही आसन जमा कर बैठ गये। वहां राजकुमार मिल बन्दी पर प्रकाश डालने के अतिरिक्त भजन, राम-धुन तथा प्रार्थना आदि के कार्यक्रम रखे जाते थे। सत्याग्रह एक सप्ताह तक चलता रहा। ८ जून को मिल पर बिना शर्त मिल चालू करने का नोटिस लगा दिया गया। इस प्रकार मजदूर आंदोलन के इतिहास में किया गया प्रथम सत्याग्रह सम्पूर्ण सफल हुआ। ढाई महिने की बन्दी के पश्चात् १४ जून १९५२ को राजकुमार मिल फिर चालू हो गया।

श्री द्रविड़ आय. एल. ओ. में

इन्दौर मिल मजदूर संघ के सुप्रसिध्द नेता तथा श्रम-जीवियों के प्राण श्री व्ही. व्ही. द्रविड अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में जाने वाले भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के भारत सरकार द्वारा नेता नियुक्त किये गए। आप २७ मई १९५२ को इन्दौर से बम्बई के लिये रवाना हुए। स्टेशन पर इन्दौर के श्रमिकों तथा नागरिकों द्वारा आपको भावभीनी बिदाई दी गई। अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बैठक में श्री व्ही. व्ही. द्रविड

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के उपाध्यक्ष भी चुने गए। आप ३ अगस्त १६५२ को इन्दौर वापस लौटे। इस अवसर पर मध्य भारत शासन के मंत्रियों, इन्दौर के नागरिकों तथा श्रमिकों द्वारा आपका भव्य स्वागत किया गया।

राष्ट्र नायक का पुनः आगमन

इन्दौर में सितम्बर १६५२ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ। इस अवसर पर पं. जवाहरलाल जी नेहरू, श्री गुलजारीलाल जी नन्दा, श्री खंडूभाई देसाई तथा देश के अनेक नेता इन्दौर पधारे। प्रधान मन्त्री श्री नेहरु इस अवसर पर भी श्रम शिविर पधारे और आपने इन्दौर मिल मजदूर संघ को आशिर्वाद दिए।

बोनस के प्रश्न

१६४६, ५०, ५१ के बोनस के प्रश्न अभी तक खटाई में पडे हुए थे। इन्दौर मिल मजदूर संघ, मिल संचालकों से बोनस के लिए चर्चा चलाता रहा था। सबसे पहिले भंडारी मिल ने ११-६-५२ को मिल में नोटिस लगाकर यह घोषणा करदी की १६५१ की हाजरी पर डेढ़ महिने का वेतन इतना बोनस दिया जायगा। बोनस की रकम १५-१०-५२ को वितरित करदी गई।

बोनस, मुनाफे अथवा नुकसान के आधार पर नहीं देते हुए केवल मजदूरों और संचालकों के आपसी सम्बन्ध अच्छे रहें इसी आधार पर दिया गया था। इसके पश्चात हुकुमचंद मिल द्वारा बोनस देने की घोषणा की गई। बाद में स्वदेशी तथा मालवा मिल ने बोनस देने की घोषणा की। केवल राजकुमार मिल ने ही उपरोक्त वर्षों का बोनस नहीं दिया।

वर्कलोड कमेटी का अवार्ड

इन्दौर के मिलों के श्रमिकों का मस्टर करने एवं कार्यभार तथा उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये जो प्रश्न पंच कमेटी को सौंप दिये गए थे उसने दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में अपने निर्णय प्रस्तुत कर दिये जो १५ जनवरी १६५३ को शासकीय गजट में प्रकाशित किये गये। इससे इन्दौर की मिलों में नई व्यवस्था आरंभ हुई। पंच निर्णय में स्पष्ट रूप से यह कहा गया था कि वर्क लोड तथा श्रमिकों की संख्या के सम्बन्ध में जो निर्णय दिये गए उनको मजदूर संघ के सहयोग से अमल में लाया जावे।

कार्यकर्ता शिक्षण महाविद्यालय

३० जनवरी १९५३ को राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस की मध्यभारत शाखा के कार्यकर्ताओं का वृहद् सम्मेलन इन्दौर में हुआ। सम्मेलन में प्रस्ताव किया गया कि मध्य भारत में श्रमजीवी आन्दोलन को सुव्यवस्थित एवं प्रगतिशील बनाने की दृष्टि से श्रमिक कार्यकर्ता प्रशिक्षण महाविद्यालय अथवा लेबर वर्कर्स ट्रेनिंग कालेज की अत्यधिक आवश्यकता है। जिससे इस कालेज में कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त कर नये श्रम संगठनों का निर्माण कर सकें और जो पुराने चल रहे है उनको व्यवस्थित कर सकें। समिति ने श्रम जीवियों से यह अपील की कि वे इस कार्य के लिये अपने तीन दिन की आय कालेज फण्ड में दें। इन्दौर मिल मजदूर संघ ने इस प्रस्ताव के अमल में धन राशि एकत्रित करने का निश्चय किया और इस फंड में आज तक लगभग डेढ़ लाख रुपया एकत्रित कर लिया गया है।

कम्युनिस्टों के अन्तिम असफल प्रयत्न

इन्दौर मिल मजदूर संघ की विभिन्न प्रवृत्तियों के कारण यद्यपि इन्दौर के श्रमिक जगत से कम्युनिस्टों का नाम समाप्त हो गया है लेकिन वे समय समय पर अस्तित्व दिखलाते और इस दिशा में कई प्रकार से असफल प्रयत्न भी किया करते हैं। इस प्रकार का एक अन्तिम और असफल प्रयत्न हुकमचंद मिल में भी किया गया। ९ मार्च को हुकमचन्द मिल के साल खाते के श्रमिकों को जब पगारों की चिट्ठी दी गई तब कम्युनिस्टों ने यह प्रचार किया कि पगार कम हैं अतएव पगारों की भरपाई की जाय और इस आधार पर कम्युनिस्टों ने श्रमिकों को काम पर नहीं जाने के लिये भड़काया। रातपाली के मजदूर कम्युनिस्टों के बहकावे में आ गये और साल खाते में येन-केन-प्रकारेण बहकावे में आये कुछ मजदूरों ने काम बन्द कर दिया। कुछ दिनों तक कम्युनिस्टों की इस प्रकार की धाधली चलती रही। अन्त में जब मजदूर परेशान हो गए तब मजदूर संघ में आये और उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि वे काम पर जाना चाहते हैं। कुछ व्यक्तियों ने श्रम मन्त्री तथा श्रम कमिश्नर महोदय को भी पत्र और तार दिए जिनमें यह इच्छा प्रगट की गई थी कि मजदूर काम पर जाना चाहते हैं। इस पर मजदूर संघ ने मेनेजमेन्ट को मिल चालू करने के लिए राजी किया लेकिन कम्युनिस्टों ने फिर धाँधली शुरू की और काम बन्द करवा दिया। इस बीच मिल संचालकों ने श्रम अदालत में अवैधानिक हड़ताल करने के सम्बन्ध में कुछ श्रमिकों पर दावा दायर किया। श्रम अदालत में कम्युनिस्टों की ओर से हर चन्द यह कोशिश की गई कि उनके किये कराये पर परदा डाल दिया जाय लेकिन श्रम अदालत ने इस हड़ताल को गैर-कानूनी हड़ताल घोषित किया और ९ श्रमिकों को काम से बन्द करने के संचालकों के कदम को न्यायोचित ठहराया। इस पर श्रमिकों ने औद्योगिक अदालत में भी अपील दायर की।

औद्योगिक अदालत ने भी श्रम अदालत के फैसले को न्यायोचित ठहराया। अन्त में ढाई वर्ष की बेकारी और परेशानी के पश्चात् कम्युनिस्टों ने मिल संचालकों के साथ अपमानजनक समझौता किया। इस समझौते में गैरकानूनी हड़ताल करने के लिये क्षमा याचना करते हुए यह प्रार्थना की गई कि हमें पुनः काम पर लिया जाय, भविष्य में ऐसे कार्य नहीं करेंगे। इस प्रकार कम्युनिस्टों के इस अन्तिम पाखन्ड की परि-समाप्ति हुई। कम्युनिस्टों की इस नादानी, गुण्डागिरी और देश विरोधी नीति से मजदूरों के वेतन, कपड़े और उत्पादन आदि के रूप में राष्ट्र का साढ़े सात लाख रुपयों का नुकसान हुआ।

कम्युनिस्टों द्वारा किए गए उपरोक्त कृत्य में इन्दौर के तथा कथित राष्ट्रीय विचारधारा के व्यक्तियों तथा संस्थाओं ने भी दबे छिपे सहयोग दिया। उनका प्रयत्न यही था कि मजदूरों की बढ़ती हुई ताकत, उनके प्रभावशाली संगठन मजदूर संघ को किसी प्रकार समाप्त किया जाय। इस अवसर पर कम्युनिस्टों ने यह भी प्रयास किया कि हुकुमचन्द मिल के नाम पर इन्दौर की अन्य मिलों में हड़ताल करवाई जाय और उन्होंने २५ मार्च १६५४ को इन्दौर की तमाम मिलों में हड़ताल कराने का प्रयत्न भी किया लेकिन उन्हें जरा भी सफलता नहीं मिली। इन्दौर के सभी मिल अपनी पूरी ताकत के साथ चलते रहे।

प्रेम और सहयोग का एक नया प्रयोग

इन्दौर का श्रम आन्दोलन अब व्यवस्थित, अनुशासन बद्ध और वैज्ञानिक तरीके पर आगे बढ़ रहा था। नये नये प्रयोग कर उद्योग तथा श्रमिकों की प्रगति का लक्ष्य सदा सामने रखकर तरह तरह के प्रयत्न किये गए। इस सम्बन्ध में कल्याण-मल मिलस में एक नया प्रयोग किया गया। इस मिल के श्रमिक वाईडिंग, वारपिंग, सायजिंग और साल खाते में माल की खराबी के कारण बेहद परेशान थे जहाँ इन खातों का उत्पादन कम हो गया था वहां इन खातों में काम करने वाले श्रमिकों की पगार भी बहुत कम हो गई थी। मजदूर संघ में इन बातों की शिकायत आने पर संघ के अध्यक्ष श्री रामसिंह भाई मिल में गये और वहां प्रत्येक खाते में घूम कर सारी स्थिति अधिकारियों को बताई। अन्त में यह निर्णय किया गया कि माल की खराबी आदि को दूर करने के पूरे प्रयत्न तो किये ही जावें किन्तु मिल संचालक मजदूरों के साथ अच्छा और सहयोग का बर्ताव करें। उनकी हरएक बातों को सुनकर जांच करें और जो सम्भव हो वह सुधार करें। लेकिन किसी भी स्थिति में किसी भी मजदूर को दण्ड, सस्पेन्ड आदि की सजा नहीं दी जावेगी। इस प्रयोग के कारण मिल की स्थिति में सुधार हुआ, उत्पादन बढ़ा और श्रम सम्बन्ध भी अच्छे बने।

बन्द दिनों की भरपाई

१९५३ के नवम्बर माह में औद्योगिक विवाद विधान में इस प्रकार का संशोधन किया गया था कि कोयले की कमी, कच्चे माल की कमी या बने हुए माल के भरजाने से, एन्जिन की खराबी, बिजली की खराबी आदि किसी भी कारण से यदि कोई कारखाना बन्द रहेगा तो बन्द दिनों में श्रमिक "लेड आफ" किये गये समझे जायेंगे लेकिन उन्हें लेड आफ के दिनों का मूल वेतन तथा मंहगाई का ५० प्रतिशत भरपाई के रूप में दिया जायेगा। इन्दौर का स्वदेशी मिल ११, १२ और २१ मार्च को एंजिन की खराबी के कारण बन्द रहा। अप्रेल माह में इस सम्बन्ध मजदूर संघ ने चर्चा कर उपरोक्त मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध प्रयत्न किये। अन्त में मई महिने में श्रमिकों को बन्द दिनों की भरपाई करदी गई। उपरोक्त विधान के अन्तर्गत यह पहिली भरपाई थी।

संयुक्त समिति का निर्माण

मध्यभारत औद्योगिक संबन्ध विधान के अनुसार इस वर्ष इन्दौर की कपड़ा मिलों में मजदूरों तथा मेनेजमेन्ट के प्रतिनिधियों की एक संयुक्त समिति का निर्माण किया गया। संयुक्त समिति का विधिवत उद्घाटन मध्यभारत के श्रममंत्री श्री व्ही. व्ही. द्रविड़ ने दिनांक ६ जुलाई १९५४ को किया। आपने व्यक्त किया कि कारखानों में जो भी कठिनाईयां और समस्याएं हो उनको दोनों पक्षों के प्रतिनिधि आपस में बैठकर निपटा सकें तो इससे मजदूरों और संचालकों को लाभ होगा। इस अवसर पर मिल ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री आर. सी. जाल ने भी भाषण देते हुए कहा कि उद्योगपतियों को जमाने की हवा को समझ कर काम करना चाहिये। इन्दौर मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री रामसिंह भाई ने कहा कि कानून के बजाय सद्भावना से काम अच्छा होता है। इस संयुक्त समिति का निर्माण हो रहा है किन्तु इसमें मेरा अधिक विश्वास नहीं है फिर भी प्रयोगात्मक रूप से यह एक अच्छी शुरूवात है। इन संयुक्त समितियों ने कुछ दिनों तक कार्य किया लेकिन वह ज्यादा लम्बी नहीं चल सकीं। एक वर्ष की अवधि में छुटपुट समस्याएं निपटाने के अतिरिक्त कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं कर सकीं।

भंडारी मिल एंजिन की खराबी के कारण बन्द

नन्दलाल भन्डारी मिल मेन साफटीन टूट जाने के कारण ६ मई १९५४ से २६ मई १९५४ तक बन्द रहा। इस अवधि में मिल की ओर से रोजाना दोनों पाली के लिए मिल चालू की सिटी लगाई जाती। एक मिनिट लेट आने वाले मजदूर तक को अन्दर दाखिल नहीं होने दिया जाता। अन्दर आये मजदूरों से मशीनों की सफाई, तेल देना, टूटे पुर्जों को निकालना आदि इस प्रकार का काम करवाया जाता रहा। दो घन्टे पश्चात इस प्रकार काम पर लगाये गये श्रमिकों को घर जाने की

सूचना दे दी जाती थी। इस प्रकार मजदूरों को यह विश्वास हो गया कि मिलों में स्थाई आज्ञा की धारा १६ के अन्तर्गत मिल बन्दी का कोई नोटिस नहीं लगाया है अतएव उनसे जितने समय काम लिया गया है उसका पैसा और बन्द दिनों की भरपाई मिलेगी। अन्त में जब जून माह में पगारों की चिट्ठी दी गई तब मजदूरों को पता लगा कि बन्द दिनों का पैसा नहीं दिया गया है। मजदूर संघ को यह सूचना मिलते ही लेड आफ का पैसा दिलवाने के सम्बन्ध में प्रयत्न आरम्भ किये गये। अन्त में १५ अगस्त को भंडारी मिल मेनेजमेन्ट ने मजदूर संघ की मांग मन्जूर कर लेड आफ का पैसा देने की घोषणा करदी।

अनुशासन और शान्ति का अनुपम उदाहरण

इन्दौर के होल्कर महाविद्यालय के छात्रों ने तत्कालीन प्रधानाचार्य श्री घोष को होल्कर कालेज में ही रखने के सम्बन्ध में एक आन्दोलन आरम्भ किया। इस आन्दोलन का कम्युनिस्टों तथा कांग्रेस विरोधी अन्य संस्थाओं ने पूरा पूरा लाभ उठाने के प्रयत्न किये। स्थिति यहां तक बिगड़ी कि कम्युनिस्टों ने हायकोर्ट में आग लगाने के प्रयत्न किये तो पोलिस को गोली तक चलानी पड़ी। इस अवसर पर इन्दौर के श्रम जीवीवर्ग ने इस आन्दोलन से अपने को अछूता रख शान्ति तथा राष्ट्र प्रेम का परिचय दिया वह अपने आप में अनुपम और प्रशंसनीय है। इससे देश के नेताओं को भी यह प्रतीती हो गई कि इन्दौर के मजदूर गांधीजी के बताये आदर्श, अहिंसा और शान्तिपूर्ण सिद्धांतों को हृदयंगम कर चुके हैं।

मजदूर मोहल्लों में वर्षा का प्रकोप

२२ सितम्बर १६५४ को इन्दौर तथा आस पास के क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई। इस वर्षा से इन्दौर के मजदूर मोहल्लों में पानी भर गया और त्राहीमाम का दृश्य नजर आने लगा। इस घटना की खबर मिलते ही इन्दौर मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री रामसिंहभाई और उनके साथी कार्यकर्ता मजदूर मोहल्लों में राहत कार्य के लिये तत्काल पहुँच गये। लगभग ५०० परिवारों को पानी से निकाल कर तत्काल नन्दानगर में बसाया गया एवं इन परिवारों के अतिरिक्त अन्य बाढ़ ग्रसित परिवारों के लिये खाने-पीने का भी प्रबन्ध किया गया। इस अवसर पर मजदूर सभा, मजदूर पंचायत और अपने को जनता का सेवक कहने वाले व्यक्ति कहां थे इसका कोई पता नहीं है।

श्री तिवारीजी आय. एल. ओ. में

इन्दौर मजदूर संघ के प्रधान मंत्री श्री गंगारामजी तिवारी २५ अगस्त से ६ नवम्बर तक होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की धातु उद्योग समिति में भारतीय श्रमिकों के प्रतिनिधि नियुक्त किये गये। आप २० अगस्त १६५४ को प्रातःकाल इन्दौर से ट्रेन द्वारा बम्बई के लिये बिदा हुए जहां से आपने जिनेवा के लिये वायुयान द्वारा

प्रस्थान किया। इस अवसर पर इन्दौर के विभिन्न संगठनों, श्रमिकों तथा नागरिकों द्वारा तिवारीजी का अभिनन्दन किया गया तथा आपको भाव-भीनी बिदाई दी गई।

श्री तिवारीजी के मजदूर संगठन के कार्य का विषद अनुभव अपनी सानी नहीं रखता। आपके इस ज्ञान का जिनेवा में पर्याप्त लाभ उठाया गया। धातू उद्योग समिति की बैठक समाप्त होने के पश्चात् श्री तिवारीजी ने इंग्लैण्ड, फ्रांस, मिश्र आदि देशों के श्रम आन्दोलनों का, श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन किया। आप २८ नवम्बर को सफल विदेश यात्रा से इन्दौर वापस लौटे। अपने प्यारे नेता की वापसी पर आपका भव्य स्वागत किया गया।

गांधीजी के आदर्श साकार हुए

इन्दौर के मजदूर संघ ने प्रतिवर्ष की भांति १९५४ में ४ दिसम्बर से ८ दिसम्बर तक मजदूर सप्ताह का आयोजन किया। अहमदाबाद मिल मजदूर महाजन के प्रधान मन्त्री तथा प्रसिध्द गांधीवादी मजदूर सेवक श्री सोमनाथ जी दवे प्रमुख अतिथि के रूप में इन्दौर पधारे। इस अवसर पर एक आम सभा में भाषण देते हुए आपने कहा कि मुझे इन्दौर आने में जो आनन्द आता है उसको व्यक्त करने में मैं असमर्थ हूँ। यहां आकर मैं देखता हूँ कि कल्पना ने मूर्त रूप धारण किया और स्वप्न जिन्दगी में उतर आया है। मैं मकान, दिवार और द्रव्य प्राप्त किये जाने वाले साधनों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ किन्तु इन्दौर के मजदूरों के हृदय में गांधी जी के जिन सिद्धांतों की बुनियाद डाली गई है, वही सब कुछ है। मैं सन्तोष अनुभव करता हूँ कि सत्यतः यहां का कार्य गांधीजी के बतलाये रास्ते पर चल रहा है।

श्रमिक राज्य बीमा योजना का शुभारम्भ

इन्दौर के औद्योगिक श्रमिकों के लिये जनवरी १९५५ से श्रमिक राज्य बीमा योजना का शुभारम्भ किया गया।

न्यूनतम वेतन में वृध्दि

इस वर्ष से इन्दौर की कपडा मिलों के श्रमिकों के वेतन २६ से बढाकर ३० किया गया। २६ को न्यूनतम वेतन मानकर जो स्टेन्डर्ड कायम किया गया था उसमें भी परिवर्तन किया गया।

राष्ट्रपति का पुनः आगमन

भारत के राष्ट्रपति महामहिम, देशरत्न डा. राजेन्द्रप्रसादजी ४ मार्च १९५५ को श्रम शिविर में फिर पधारे। इस अवसर पर मजदूर संघ के पदाधिकारियों तथा

कार्यकर्ताओं एवं श्रमिकों द्वारा आपका हार्दिक स्वागत किया गया। महामहिम राष्ट्रपतिजी ने लेबर ट्रेनिंग कालेज के भव्य भवन देखते हुए हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की। इसके पूर्व आपने नन्दा नगर श्रमिक बस्तियों का निरीक्षण किया और हार्दिक प्रसन्नता व्यक्त की।

नागरिक और सामाजिक जीवन में प्रवेश

इन्दौर मिल मजदूर संघ ने सदा से यह प्रयत्न किया है कि इन्दौर के मजदूर सामाजिक, राजनैतिक एवं सांस्कृतिक नागरिक अर्थात जीवन के सभी क्षेत्रों में आगे बढ़े। इसी आधार पर इन्दौर के श्रमिक बन्धु विशाल संख्या में कांग्रेस के सदस्य बने और उन्होंने संघ के प्रधान मन्त्री श्री गंगारामजी तिवारी को १९५४ में नगर कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित किया। १९५५ में जब इन्दौर नगर सेविका के नये चुनाव की घोषणा की गई तो लगभग २० ऐसे व्यक्ति नगर सेविका के पार्षद के रूप में निर्वाचित किये गए जो इन्दौर की कपड़ा मिलों में काम करते हैं। इन पार्षदों ने नगर सेविका में जाकर इन्दौर के मजदूर मोहल्लों में सुधार, नल, बिजली लगाने आदि का महत्व पूर्ण कार्य शुरू किया है।

शिकायत हल करने की नई युक्ति

जून १९५५ के द्वितीय सप्ताह में इन्दौर मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष महोदय का एक नई मुहिम शुरू की जाने का उद्देश्य था—इन्दौर की कपड़ा मिलों में काम करने वाले प्रत्येक श्रमिक की शिकायत को सुनना और उसे हल कराना। इस मुहिम के अनुसार वे हर मिल की प्रत्येक पाली में एक एक खाते के श्रमिक के पास गये और उससे शिकायत ली। बाद में आपने इन शिकायतों का समाधान पूर्वक हल निकाला।

बोनस के प्रश्न पर ऐतिहासिक सफलता

१५ अगस्त १९५४ को एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गये जिसके अनुसार इन्दौर के श्रमिकों को १९५३-५४-५५-५६ और ५७ का बोनस दिया जायगा जो मिल के घाटा करने की स्थिति में भी कम से कम १५ दिन का लेकिन मुनाफा करने की स्थिति में लेबर अपेलेट ट्रीब्यूनल के फार्मूले के अनुसार होगा। जिसकी अधिक से अधिक रकम ३ महीने तक की होगी।

श्री रामसिंहभाई की विदेश-यात्रा

इन्दौर मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष श्री रामसिंहभाई वर्मा भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की कपड़ा उद्योग समिति में भारतीय श्रमिकों के प्रतिनिधि नियुक्त किये गए। आप २६ अगस्त १९५५ को इन्दौर से विदा हुए।

आपको इन्दौर के श्रमिकों, नागरिकों, अधिकारियों द्वारा भावभीनी बिदाई दी गई। श्री रामसिंहभाई के साथ श्री अम्बेकरजी भी उपरोक्त समिति में नियुक्त किये गये थे। दोनों महानुभावों को रूस के श्रमिक संगठन की ओर से निमन्त्रित किया गया। आपने कपड़ा समिति की बैठक में भाग लेने के पश्चात् रूस, युगोस्लाविया, पोलेण्ड, बेल्जियम, फ्रान्स, इटली, इंग्लैण्ड आदि यूरोपीय देशों का दौरा किया और गांधीवादी मजदूर आन्दोलन को विशिष्टताओं से उपरोक्त देशों के श्रमजीवियों को परिचित कराया और स्वयं ने वहां के श्रम आन्दोलन आदि का अध्ययन किया। आपने अन्तर्राष्ट्रीय कपड़ा समिति में सर्वप्रथम राष्ट्र भाषा हिन्दी में भाषण देने का गौरव प्राप्त किया। आपने अपने भाषणों में काम के घन्टे ४८ से घटाकर ४४ प्रति सप्ताह करने का भी सुझाव रखा।

श्री रामसिंहभाई सफल विदेश--यात्रा से १३ नवम्बर १९५५ को इन्दौर वापस लौटे। बम्बई, रतलाम आदि स्टेशनों पर आपका भव्य स्वागत किया गया। लेकिन इन्दौर में जो स्वागत श्री रामसिंहभाई का हुआ वैसा सम्भवतः किसी अन्य नागरिक का नहीं हुआ था। स्टेशन पर हजारों व्यक्तियों ने एकत्रित होकर जयघोष के साथ आपको पुष्प मालाएं भेंट की। पंक्तिबद्ध स्वयंसेवकों ने गार्ड आफ आनर दिया। श्री रामसिंहभाई जुलूस के रूप में स्टेशन से नगर के विभिन्न मार्गों तथा श्रमिक बस्तियों से गुजरे। स्थान स्थान पर बंदनवार, झण्डी लगाई गई थी और स्वागत द्वार बनाये गए थे। इनमें से कई द्वार अपनी विशिष्टता लिये हुए थे। कई स्थानों पर महिलाओं ने अपने जेवर से द्वार बनाये थे। जुलूस लगभग ११ बजे आरम्भ हुआ। जो रेलवे ब्रिज, महात्मा गांधी रोड, जेलरोड, स्नेहलतागंज, राजकुमार मिल चौराहा, न्यू देवास रोड, मालवा मिल चौराहा, पाटनीपुरा, नन्दानगर, परदेशीपुरा, कुलकर्णी का भट्टा, शीलनाथ केम्प आदि स्थानों से होता हुआ श्रम शिविर में संध्या को लगभग ७ बजे पहुँचा।

मालवा मिल का संघ-विरोधी रुख

दिसम्बर के प्रथम सप्ताह में मालवा मिल ने खुले रूप से मजदूर संघ विरोधी रुख अपनाना आरम्भ किया। ८ दिसम्बर १९५५ को इन्दौर की सभी मिलों में मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में छुट्टी रखी गई लेकिन मालवा मिल ने छुट्टी नहीं रखी।

श्री शुक्ल का श्रम शिविर में आगमन

मध्यप्रदेश के मुख्यमन्त्री पं. रविशंकर शुक्ल जनवरी १९५६ के द्वितीय सप्ताह में श्रम शिविर पधारे। श्रम शिविर की भव्य इमारत और यहां चलाए जाने वाली विभिन्न प्रवृत्तियों को देख आपने कहा कि इन्दौर के मजदूरों का आदर्श भारत के मजदूरों के लिये अनुकरणीय है।

महिला केन्द्र की स्थापना

इन्दौर मिल मजदूर संघ की ओर से दिनांक ३० जनवरी १६५६ को नन्दानगर में महिला प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना की गई। इस केन्द्र में महिलाओं को लिखना, पढ़ना, कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, खिलौने बनाना, भरत आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है इस केन्द्र का उद्घाटन संघ के अध्यक्ष श्री रामसिंहभाई ने किया। इसके पश्चात् २ अक्टूबर को अम्बर चर्खा केन्द्र भी आरम्भ किया गया।

उपसंहार

उपरोक्त पंक्तियों में हमने इन्दौर मिल मजदूर संघ की सफलताओं का संक्षेप में वर्णन किया है। मिल इन्दौर मजदूर संघ का लक्ष्य तो इससे बहुत ऊंचा और आगे है। उसकी मान्यता है कि देश में किसानों, मजदूरों का राज्य कायम हो और उसी दिशा में वह प्रयत्नशील है।